कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ ।

E-Mail : dfopithoragarh@rediffmail.com Phone/Fax No. 05964(225234)

पत्रांक – 703 /4–6 दिनांक, पिथौरागढ़, 8 सितम्बर, 2015

विज्ञप्ति

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक क–231/1–14(8) दिनांक 30–07–2015 के अनुसार पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के अन्तर्गत वन आरक्षी (वन रक्षक) पद पर वेतन बैण्ड (5200–20200 ग्रेड वेतन 1900) में उत्तराखण्ड वन विभाग के 65% सामयिक मजदूर से भरे जाने वाले रिक्त पदों हेतु वन विभाग के कार्यरत सामयिक कर्मकार पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन संलग्न निर्धारित प्रारूप मे देवनागिरी लिपि मे आमंत्रित किये जाते है, जो दिनांक 24.09.2015 तक प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिन नम्बर 262501 के पते पर सायं 5.00 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से पहुंच जाने चाहिये। रिक्तियों का अनन्तिम विवरण निम्न प्रकार है जो घट–बढ़ सकती है।

रिक्त पदों का विवरण

भर्ती का स्रोत	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	पिछड़ी जाति	**योग**
उत्तराखण्ड वन विभाग में कार्यरत सामायिक कर्मकारों से	08	10	02	04	**24**

- सामयिक मजदूर का तात्पर्य उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश अवर अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 1980) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002) (संशोधन) नियमावली 2007 में परिभाषित सामयिक मजदूर से है। आरक्षित श्रेणी के पदों पर उत्तराखण्ड में जारी किये गये आरक्षित श्रेणी के प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।
- कुल रिक्त पदों में क्षैतिज आरक्षण विद्यमान अद्यतन आदेशों के अनुसार होगा। क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उन पदों को अन्य अभ्यर्थियों से भरे जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त रिक्तयॉ प्रभाग में पदों की स्थिति के अनुसार घट–बढ़ सकती है। किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नही होगा।
- एक से अधिक आरक्षण श्रेणी/उपश्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को एक छूट जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी।

क्षैतिज आरक्षण :– उत्तराखण्ड में प्रवृत्त नियमों के अधीन क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

सामान्य अर्हतायें :–

1. अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो।
2. उत्तराखण्ड वन विभाग में सामयिक मजदूर के रूप में कम से कम तीन बार सामयिक कार्य किया हो जिसका प्रमाण पत्र सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।
3. जिसकी एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न हो।
4. अभ्यर्थी को नवीनतम शासनादेश के अनुसार जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थाई प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

शैक्षिक योग्यता : –

अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड/उत्तर प्रदेश से हाईस्कूल परीक्षा अथवा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अन्य कोई परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।

आयु सीमा :–

01 जुलाई, 2015 को सामयिक मजदूर के रूप में कार्य प्रारम्भ करने की तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम आयु 42 वर्ष हो तथा वह जितने वर्ष या सीजन विभाग में निरन्तर रूप से कार्य कर चुका हो उतने ही वर्ष आयुसीमा में छूट दी जायेगी। अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिये नियमानुसार छूट होगी।

शारीरिक अर्हतायें :– भर्ती के लिये अभ्यर्थी की ऊँचाई और सीने की नाप हेतु निम्नलिखित न्यूनतम मानक आवश्यक होगा।

पुरूष अभ्यर्थी :– ऊँचाई–163 से0मी0, सीना माप बिना फुलाये 79 से0मी0, फुलाने पर 84 से0मी0 गोरखा, नेपाली, असमी, मेघालय, लद्दाख, नेफा, नागा, मणीपुर, गढ़वाली, कुमाऊनी, सिक्कमी और भूटानी उद्गम के अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम ऊँचाई की सीमा 158 से0मी0 होगी।

पुरूष अभ्यर्थी :– न्यूनतम ऊँचाई – मैदानी क्षेत्र – 152 से0मी0 पर्वतीय क्षेत्र – 147 से0मी0
न्यूनतम वजन – मैदानी क्षेत्र – 45 कि0ग्रा0 पर्वतीय क्षेत्र – 45 से0मी0

लिखित परीक्षा :– शारीरिक अर्हता परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, ली जायेगी। लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी।
1. निबन्ध हिन्दी लेखन – 50 अंक **2.** सामान्य ज्ञान – 50 अंक

<u>नोट :–</u>

1. लिखित परीक्षा का माध्यम हिन्दी होगा एवं प्रश्न पत्रों का स्तर उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड परिषद की हाईस्कूल या उसके समकक्ष का होगा।

2. परीक्षा कार्यक्रमों में सम्मिलित होने हेतु कोई यात्रा–भत्ता देय नही होगा।

3. सामयिक मजदूर को उततराखण्ड वन विभाग में लगातार कार्यरत होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो कम से कम प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक के स्तर से निर्गत किया हो, ही मान्य होगा।

4. अभ्यर्थी को स्वयं का पता लिखा हुआ 22 से0मी0X10 से0मी0 आकार के दो लिफाफे जिनमें प्रत्येक दर पर ₹ 30/–का डाक टिकट चस्पा किया गया हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

5. उक्त सूचना व आवेदन पत्र का प्रारूप प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय पिथौरागढ़ के सूचनापट पर देखा/प्राप्त किया जा सकता है अथवा उत्तराखण्ड वन विभाग की वैव साईट www.forest.uk.gov.in से भी Download किया जा सकता है।
6. अभ्यर्थी को क्षैतिज आरक्षण का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

7. पक्ष समर्थन हेतु किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सिफारिश आपके आवेदन पत्र को अयोग्य कर सकते हैं।

8. आवेदन पत्र की प्रति इस वन प्रभाग से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

पिथौरागढ़ वन प्रभाग, उत्तराखण्ड वन विभाग, पिथौरागढ़ में कार्यरत सामयिक मजदूर से वन आरक्षी (वन रक्षक) के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र

केवल कार्यालय प्रयोगार्थ
आवेदन संख्या
प्राप्ति तिथि

राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम रंगीन फोटो चस्पा करें।

1. आवेदक का पूरा नाम– ....
2. पिता / पति का नाम– ....
3. माता का नाम– ....
4. जन्मतिथि–..
5. स्थाई पता– ....
....
....
6. पत्र व्यवहार का पता– ....
....
....
7. दूरभाष संख्या (यदि हो)– ....
8. ई–मेल (यदि हो)– ....
9. आरक्षण की श्रेणी√

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग

10. क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी√– महिला ◘ भूतपूर्व सैनिक ◘ उत्तराखण्ड आन्दोलनकारी ◘ स्ववंत्रता संग्राम के सैनानियों के आश्रित◘

11. उत्तराखण्ड वन विभाग में कब से सामयिक मजदूर कार्य पर कार्यरत है..

12. शैक्षिक योग्यता (प्रमाण पत्र) हाईस्कूल ◘ अन्य ◘

घोषणा

1. मैं एतद्द्वारा घोषण करता हूॅ करती हूॅ कि विज्ञप्ति में दी गयी पात्रता की शर्ते मुझे मान्य है। और ये शर्ते मै पूरा करता हूॅ/करती हूॅ।
2. आवेदन पत्र में अंकित सभी सूचनायें मेरी जानकारी व विश्वास से सही है। कोई प्रविष्टि गलत होने पर मुझे चयन प्रक्रिया से वंचित किये जाने पर मेरा कोई प्रत्यावेदन मान्य होगा। यदि नियुक्ति हो जाने के उपरान्त ऐसी स्थिति प्रकाशित में आये तो मेरी सेवाये स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

संलग्नको का संख्याः–

1................................ 2..........................3...........................4......................5............................

दिनांक –
स्थान –

आवेदक के हस्ताक्षर–
आवेदक का पूरा नाम–

आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें–

1) समस्त तारांकित (*) क्रमाकों के पक्ष से राजपत्रित अधिकारी द्वारा वैध प्रमाण–पत्र की सत्यापित छाया प्रति (मूल प्रमाण– पत्र भर्ती हेतु मांगे जाने पर प्रस्तुत करने होगे)।

2) राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित पासपोर्ट साईज की एक रंगीन फोटो आवेदन पत्र पर चिन्हित स्थान पर व एक फोटो पत्र पर निर्धारित सथान पर चस्पा की जाय।

3) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र।

4) उत्तराखण्ड वन विभाग में लगातार कार्यरत होने का प्रमाण पत्र (माहवार/वर्षवार/वाउचर सं0/पारिश्रमिक सहित प्र0व0अ0/उप निदेशक क्षरा जारी हो मान्य होगा)

"केवल कार्यालय प्रयोगार्थ'"

सामयिक मजदूर से वन आरक्षी (वन रक्षक) की लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र

राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम रंगीन फोटो चस्पा करें।

अनुक्रमाक
(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

परीक्षार्थी का नाम
(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाये)

पिता/ पति का नाम
(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाये)

परीक्षा केन्द्र का नाम
(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

परीक्षा तिथि/समय
(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर (परीक्षा तिथि को)

परीक्षक के हस्ताक्षर (परीक्षा तिथि को)

जारी करने वाले के हस्ताक्षर